न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री रवि प्रकाश, आर०ए०एस०

राजस्व वाद पत्र संख्या : 83/2023

GCMS No. : 2023/244

–: वादी :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर।		1. ओमप्रकाश पुत्र खिंयाराम 2. इन्द्राराम पुत्र रूपाराम जातियान–माली निवासीगण–निम्बोल, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर।

राजस्व वाद पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी, अधिनियम, 1955

तारीख रजू :– 13.06.2023

उपस्थितः– 1. तहसीलदार, जैतारण पैरोकार सरकार।
2. श्री श्यामलाल तंवर, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनांक :– 19.11.2024**

वादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि **खसरा नंबर 411/17 कुल रकबा 0.0324 हैक्टर किस्म बारानी दोयम सरहद मौजा– निम्बोल तहसील–जैतारण** में स्थित है उक्त आराजी का वादी भूमि लैण्ड होल्डर है। प्रतिवादी आराजी जैर बहस के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी ने जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को कृषि के रूप में काम में न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं किस्म परिवर्तित कर ***वाणिज्यिक उपयोग (पक्की दूकानें का निर्माण)*** कर खुर्द बुर्द कर रहे है जिसका प्रतिवादी को हक नहीं है। प्रतिवादी ने राजस्थान कानून के प्रावधानों व टिनेन्सी एक्ट की शर्तो को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है, जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा टीनेन्सी एक्ट की शर्तो को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब प्रतिवादीगण को जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित हैं। दावा हाजा के लिए बिनाय मुखासमत **दिनांक 21.03.2023** को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का ने वादी को प्रतिवादीगण द्वारा जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से के अवैध रूप से **अकृषि (पक्की दूकानें का निर्माण)** का कार्य करने की सूचना जरिये रिपोर्ट दी। वादपत्र को सुनने का हक अदालत हाज को धारा 177 92क, 63 आर.टी एक्ट 1955 के तहत है। वाद वादी मय शपथ पत्र व डुप्लीकेट प्रति के पेश कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाये तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को खुर्द बुर्द नहीं करे। अन्य सिद्वि जो मुफिद वादी हो एवं 289 आरटी एक्ट के तहत दिलवाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
जैतारण (ब्यावर)

इस पर वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। है। प्रतिवादी संख्या 01 और 02 की ओर वकालतनामा पेश हुआ, जो सामिल मिसल है।

प्रतिवादी संख्या 01 और 02 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 178(2) राज.काश्तकारी अधिनियम का पेश हुआ कि सरहद मौजा निम्बोल के खसरा नंबर 411/17 रकबा 0.0324 हैक्टेयर भूमि का भू रूपान्तरण करवाना चाहते है जिसकी फोटोप्रति प्रार्थनापत्र के साथ पेश की जा रही है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। श्रीमान के न्यायालय में 177 आरटी एक्ट का उपरोक्त मामला विचाराधीन होने व उसमें सीगिन आदेश होने से भू रूपान्तरण सम्भव नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि पत्रावली तलब फरमाकर भू रूपांतरण की परमिशन दिलाने की कृपा करावे।

पत्रावली मय दस्तावेजात, जबाब कार्यवाही मय फहरिश्त दस्तावेज, उभयपक्षकारान बहस का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खातेदार प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त खातेदारी आराजी **खसरा नंबर 411/17 कुल रकबा 0.0324 हैक्टर किस्म बारानी दोयम सरहद मौजा– निम्बोल तहसील–जैतारण** में स्थित है, अर्थात कृषि योग्य भूमि है का बिना विधिक प्रक्रिया का अनुपालन किए एवं बिना सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त किए मौके पर 06 पक्की दूकानें बनाकर काम में लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर 06 पक्की दूकाने बनाकर अनुप्रयोग करना अहितकर कार्य की श्रेणी में आता हैं, तथा पटवारी निम्बोल की मौका फर्द दिनाँक 21.03.2023 से इस तथ्य की भली–भाँति पुष्टि होती हैं। एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 178(2) राज.काश्तकारी अधिनियम पेश कर उक्त वर्णित आराजी को संपरिवर्तन कराने का समय चाहा गया, जिसे स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को 90 दिवस में न्यायालय हाजा को संपरिवर्तन आदेश की प्रति प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। प्रतिवादी की ओर से 90 दिवस में एवं न्यायहित में अंतिम एक ओर अवसर दिये जाने के बावजूद भी संपरिवर्तन आदेश न्यायालय हाजा को प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो खातेदार के खातेदारी अधिकारों का विलोपित करते हुए बेदखल किए जानें का पर्याप्त आधार है। अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि वादी तहसीलदार, जैतारण का वाद–पत्र भली–भाँति साबित होता है, अतः प्रतिवादीगण खातेदार को वादग्रस्त आराजी में से खातेदारी, अधिकारों को विलोपित करते हुए वादग्रस्त आराजी से बेदखल करते हुए वादग्रस्त आराजी सिवाय चक खाता सरकार दर्ज करना विधि सम्मत् रहेगा।

–: <u>आदेश</u> :–

अतः निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा–177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली–भाँति साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा– निम्बोल, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर राज0 के खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
जैतारण (ब्यावर)

411/17, रकबा 0.0324 बीघा, किस्म बारानी दोयम, में से **0.0162 हैक्टेयर भाग जो कि वाद–पत्र एवं पटवारी मौका रिपोर्ट दिनांक 21.03.2023 में अंकित है,** से प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए सिवायचक खाता सरकार दर्ज करते हुए उस पर से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाए। तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि इस आदेश के संलग्न पटवारी मौका रिपार्ट में अंकित भाग को सिवायचक दर्ज करते हुए भू नक्शे में तरमीम करें। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण,
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनांक **19/11/2024** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण,
(जिला–पाली)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण
बईजलास :– श्री रवि प्रकाश, आर0ए0एस0

–: वादी :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
2. तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर।		1.ओमप्रकाश पुत्र खिंयाराम 2.इन्द्राराम पुत्र रूपाराम जातियान–माली निवासीगण–निम्बोल, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर।

राजस्व वादपत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा , 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 — मु0न0 :रा0वा0 स0: 83/2023

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री तहसीलदार जैतारण, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री श्यामलाल तंवर प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अंतर्गत धारा–177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली–भाँति साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा– निम्बोल, तहसील– जैतारण, जिला–ब्यावर राज0 के खसरा नम्बर 411/17, रकबा 0.0324 बीघा, किस्म बारानी दोयम, **में से 0.0162 हैक्टेयर भाग जो कि वाद–पत्र एवं पटवारी मौका रिपोर्ट दिनांक 21.03.2023 में अंकित है,** से प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए सिवायचक खाता सरकार दर्ज करते हुए उस पर से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाए। तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि इस आदेश के संलग्न पटवारी मौका रिपार्ट में अंकित भाग को सिवायचक दर्ज करते हुए भू नक्शे में तरमीम करें। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 19/11/2024 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (ब्यावर)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी	01	00
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–	— Nil —		मिजानः–	02	00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।